बिहार सरकार
वाणिज्य–कर विभाग
–: अधिसूचना :–

संचिका संख्या–6/अ0–03–02/2016 पटना, दिनांकः–

श्रीमती कुमारी अनामिका, राज्य–कर संयुक्त आयुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, पटना पश्चिमी प्रमंडल, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत् दिनांक 05.07.2026 से 19.07.2026 तक कुल 15 दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के उपरान्त श्रीमती अनामिका के अवकाश लेखा में (178–15=163) एक सौ तिरसठ दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(विजय कुमार)
सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य–कर विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–6/अ0–03–02/2016 3956 पटना, दिनांकः– 12/10/26

प्रतिलिपि :– वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/वरीय कोषागार पदाधिकारी, समाहरणालय, पटना/राज्य–कर अपर आयुक्त (प्रशासन), पटना पश्चिमी प्रमंडल, पटना को इस आशय की सूचना के साथ प्रेषित की एच0आर0एम0एस0 पोर्टल पर उक्त अवकाश के पश्चात् शेष आदेयता की अद्यतन प्रविष्टि कर लेंगे/एच0आर0एम0एस0 (एडमीन), वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना/एच0आर0 मैनेजर (स्थापना), वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना/वरीय प्रभारी, लेखा शाखा, वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना/~~आई~~0टी0 मैनेजर, वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्रीमती कुमारी अनामिका, राज्य–कर संयुक्त आयुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, पटना पश्चिमी प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12.10.2026

सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य–कर विभाग
बिहार, पटना।